भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3015

जिसका उत्तर 12.03.2020 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं

3015. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2018 में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और इनमें से 64.4 प्रतिशत मामले तेज गति के कारण हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध् में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नियम/मानदंड के अनुसार मुआवजे के रूप में कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या पथ-कर के रूप में वसूल किया गया धन पूरी तरह से सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लिए विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध् में इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अखबार, टेलीविजन और अन्य मीडिया का प्रभावी रूप से सार्वजनिक सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाए?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान देश में ओवर स्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	ओवर स्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए कुल व्यक्ति
2018	4,67,044	1,51,417	97588

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग के आंकड़ों के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दों के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएँ बहु-कारण हैं और विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया का एक परिणाम हैं जिन्हें मोटे तौर पर मानव त्रुटि, सड़क की स्थिति / पर्यावरण और वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने कई पहल की हैं जिनमें शामिल हैं:

संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात उल्लंघन के लिए शास्तियों में कठोर वृद्धि और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाबालिंग ड्राइविंग के लिए बढ़ायी गयी शास्ति, गोल्डन ऑवर के दौरान नकदरहित उपचार, वाहन फिटनेस और ड्राइविंग परीक्षण का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को वापस बुलाना, तीसरे पक्ष के बीमा को सुव्यवस्थित करना और हिट एंड रन के मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं। इस

संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए कानून को मजबूत किया है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए नियम जारी करता है, ब्लैक स्पॉटों को दूर करने के लिए स्थल विशिष्ट हस्तक्षेप करता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी विभिन्न गतिविधियाँ भी करता है।मंत्रालय ने सभी परिवहन वाहनों पर गति सीमित करने वाले उपकरणों को लगाने और गुड समारिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी-करने के लिए अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त,

i केंद्रीय सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्कीम।
ii स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना की स्कीम।
iii जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना।
iv सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग बनाया गया है।
v राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।
vi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चिह्नित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।
vii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।
viii माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165 (1) के अनुसार, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायानिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं। धारा 165 की उप-धारा (2) राज्य सरकार को उतने सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जैसा राज्य सरकार नियुक्ति के लिए उचित समझे। धारा 165 की उप-धारा (3) राज्य सरकार को कामकाज के वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है यदि किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण हैं। इस प्रकार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा मामलों के निपटान के बारे में मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) सड़क कर राज्य सरकार द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है।

(घ) मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनजीओ आदि के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपायों और जागरूकता अभियानों की योजना लागू करता है। इसके अलावा, जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

*****